

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।

मानचित्र/वाद अनुभाग

सेक्टर-1

दिनांक: 25/4/25

पत्रांक 591

प्रोजेक्ट लेआउट गैलेन्ट आनन्दम, गैलेन्ट इस्पात लिमिटेड,
श्री चन्द्र प्रकाश अग्रवाल पुत्र स्व० गोविन्द प्रसाद अग्रवाल
मुहल्ला-बरगदवा, गोरखपुर।

आपके पत्र दिनांक 20.12.2024 मानचित्र सं०-104/2024 के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित व्यवसायिक/आवासीय भवन निर्माण को मुहल्ला/कालोनी-बरगदवा, गोरखपुर भूखण्ड/आराजी/भवन सं०-142मि. 147, 148, 149 मि. 150, 151, 152 पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है।

- 1-मानचित्र की इस स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति से स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
- 2-जिस प्रयोजना के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है, भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ० प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
- 3-उ० प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
- 4-जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपयुक्त नहीं होगा वहाँ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय का विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 5-स्वीकृत मानचित्र का एक सेट निर्माण स्थल पर ही रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।
- 6-आप भवन निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व प्राधिकरण को कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
- 7-निर्माण के अन्तिम में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
- 8-पर्यावरण की दृष्टि से उ० प्र० राज्य वन नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 0.5% पेड़ लगाना अनिवार्य है। स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है। भवन निर्माण समाप्त होने के साथ एक माह के अन्दर संलग्न रूप में कार्य पूरा होने के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दे तथा बिना आज्ञा प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में न लायें।
- 9-प्राधिकरण से अध्यासन (आक्यूपैन्सी) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (आक्यूपायी) करेंगे। इसमें किसी भी शर्त का उल्लंघन उ० प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 26 अधीन दण्डनीय अपराध होगा।
- 10-दरवाजे या खिड़कियाँ इस तरह से लगाये जायेगी कि जब वह खुले तो उसके पत्ते किसी सरकारी सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्ट) न हो।
- 11-बिजली की लाइन से 5 फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
- 12-सड़क, सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल) न रखी जायेगी तथा गन्दे पानी का निकासी पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
- 13-यह मानचित्र उ० प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त (कन्डीशन) के साथ स्वीकृत किये जाते हैं तो यह शर्त भी मान्य होगी।
- 14-सड़क पर अथवा बैकलेन में कोई रैम्प अथवा स्टेप्स नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
- 15-सुपरविजन एवं स्पेसिफिकेशन नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
- 16-पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र दिनांक 6-3-25 का पालन करना होगा।
- 17-प्रस्तुत शमन मानचित्र में दर्शित उपयोग के अनुसार स्थल पर उपयोग करना होगा। इस आशय का शपथ पत्र संलग्न है।
- 18-रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्राविधान नियमानुसार करना होगा। इस आशय का शपथ पत्र संलग्न है।
- 19-किसी प्रकार के बदलाव की स्थिति में प्राधिकरण को सूचित करते हुए बिना अनुमति के कोई कार्य नहीं किया जायेगा। इस आशय का शपथ पत्र संलग्न है।
- 20-माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में शुल्को में छूट प्रदान किया गया है। इस आशय का शपथ पत्र संलग्न है।
- 21-ग्रीन एरिया का उपयोग मानचित्र के अनुसार करना होगा। इस आशय का शपथ पत्र संलग्न है।
- 22-भू-स्वामित्व की जिम्मेदारी आप की होगी। इस आशय का शपथ पत्र संलग्न है।
- 23-भविष्य में किसी प्रकार की शुल्क की देयता बनती है तो आप को देय होगी। इस आशय का शपथ पत्र संलग्न है।

संलग्न: स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।



सचिव,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।